

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 182/2019 (RCMS 2019/00447)	दायर दिनांक 12.06.2019	निर्णय दिनांक 10.10.2019
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

भंवरलाल पिता कानाजी धाकड उम्र वयस्क निवासी मेघपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. रतनी पत्नि शंकर जाति चमार उम्र वयस्क निवासी मेघपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. श्यामलाल पिता रामलाल धाकड उम्र वयस्क निवासी मेघपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. मोडीराम पिता हीरा धाकड उम्र वयस्क निवासी मेघपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री अम्बालाल औड
एक तरफा
पैरोकार सरकार

प्रार्थी
अप्रार्थीगण
अप्रार्थी संख्या 4

-:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी गण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पालका पटवार हल्का पालका तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2066-2069 के खाता संख्या 410 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1209, 1215मी0, 1216 मौजा मेघपुरा पटवार हल्का पालका तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2067-2070 के खाता संख्या 98 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 421, 422, 438 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। इस पर दिनांक



10.10.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 तक बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा के आदेश दिये गये। इस पर हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस प्रार्थना हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 4 पैरोकार सरकार हाजिर।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना-पत्र को सुना गया। बहस प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की ईशतदुआ की गई। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। सुनीगई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेश दिया जाता है कि मौजा पालका पटवार हल्का पालका तहसील व जिला चित्तौड़गढ की जमाबंदी संवत् 2066-2069 के खाता संख्या 410 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1209, 1215मी0, 1216 मौजा मेघपुरा पटवार हल्का पालका तहसील व जिला चित्तौड़गढ की जमाबंदी संवत् 2067-2070 के खाता संख्या 98 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 421, 422, 438 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को 1200/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक को 10.10.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/संस्था 5-08(182)2019/10.10.2019/

दिनांक 10 अक्टूबर, 2019

निमित्त,

तहसीलदार,
चित्तौड़गढ़

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

भंवरलाल पिता कानाजी धाकड उम्र वयस्क निवासी मेघपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

प्रार्थी**बनाम**

1. रतनी पत्नि शंकर जाति चमार उम्र वयस्क निवासी मेघपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
2. श्यामलाल पिता रामलाल धाकड उम्र वयस्क निवासी मेघपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
3. मोडीराम पिता हीरा धाकड उम्र वयस्क निवासी मेघपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
4. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण**प्रकरण संख्या :- 182/2019**
(RCMS 2019/00447)**:-: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थर गढ़ी :-:**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 1200/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा पालका पटवार हल्का पालका तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2066-2069 के खाता संख्या 410 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1209, 1215मी०, 1216 मौजा मेघपुरा पटवार हल्का पालका तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2067-2070 के खाता संख्या 98 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 421, 422, 438 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित किये जाये एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़